

9

आदेश

केंद्रीय नाटिक की आज्ञा को अवलोकन किया। केंद्रीय नाटिक ने वर्युष्य श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित कुमार, श्री राजेश कुमार, श्री लखन सिंह, श्री विनोद कुमार, श्री सीताराम, श्री राजेश यादव एवं श्री रमेश कटियार के कार्य के प्रति उदासीनता आदेशों की अवलोकन के सम्बन्ध आज्ञा दी है। आज्ञा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विगत कई महीनों वर्युष्य श्रेणी कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। वे उन आदेशों का पालन नहीं रहे हैं एवं कार्यालय से अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण किये जाने पर यह अवकाश ले करके घटे जाते हैं और अवकाश जागे बढ़ाते रहे हैं। केंद्रीय नाटिक द्वारा गैर सम्झ फोन किये जाने पर फोन की घण्टी बजती रहती है। सम्बन्धित कर्मचारी फोन उठाते नहीं है और फोन को निमग्न अवस्था में लेते हैं। जिससे न्यायालय का कार्य सुचारु रूप से सम्भलित नहीं हो पा रहा है। यह घोर अपराधिक है। व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित कर्मचारियों को मौखिक रूप से सम्झाया व ऐसा न करने के लिए कहा गया। उसके परभाव से उनमें कोई सुधार नहीं आया है। जिससे यह प्रतीत होता कि वे अपना कार्य स्वनिष्ठ एवं कर्तव्यसमगता से नहीं करते हैं। कर्मचारीगण को वर्युष्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1988 के नियम 3 का उल्लंघन है।

तदनुसार उपरोक्त तथ्यों एवं अवस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कर्मचारियों को उक्त राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 के नियम 23 (1) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत संपुर्णक से हटित किया जाता है तथा उनकी एक-एक वेतन वृद्धि तात्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से रोक दी जाती है।

1. श्री विनोद कुमार
2. श्री लखन यादव
3. श्री राजेश यादव
4. श्री राजेश कुमार
5. श्री सीताराम
6. श्री मोहित कुमार
7. श्री रमेश कटियार

उक्त वृद्धि रोक जाने की प्रविष्टि उपरोक्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में की जाये। सभी सम्बन्धित सूचित की।

दिनांक 27.09.2022

(अनिल कुमार वर्मा प्रधान)
जनपद न्यायाधीश
उदरेवा